संख्या-08/2019/1093 /84-1-2019-07 बामा /2015 टी0सी0

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक 31 अक्टूबर, ,2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या- 21 के लेखाशीर्ष - 3456 के अन्तर्गत मानक मद- 6- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए धनराशि रू0 6.50 लाख का पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2705/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ब0अ0/2019-20 दिनॉक 09.10.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को अनुदान संख्या- 21 के लेखाशीर्ष 3456 के अन्तर्गत मानक मद-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए लेखाशीर्ष -3456-00-001-06-00-12 (कार्यालय फर्नीचर) एवं लेखाशीर्ष -3456-00-001-06-00-42 (अन्य व्यय) में हो रही बचत की धनराशि रू0 31.61 लाख में से निबन्धक , राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संलग्न बी0एम0-9 के विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय रू0 6.50 लाख (रू0 छः लाख पचास हजार) मात्र को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) बचत की धनराशि निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा, तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदोपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा ।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(6) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या- 142/ ई-7-(1) /दस-19 दिनॉक 22-10-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-08/2019/1093 (1) /84-1-2019-07 बामा /2015 टी0सी0,तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
9- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in